प्रेस नोट
जनपद – गोण्डा
दिनांक – 17.03.2026

श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोण्डा में पाँच दिवसीय स्काउट/रोवर्स/रेंजर्स प्रशिक्षण एवं जाँच शिविर को मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक गोण्डा की उपस्थिति में किया गया समापन-

गोण्डा। जनपद के श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोण्डा (सम्बद्ध – मा० पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर) के मुख्य परिसर में आयोजित पाँच दिवसीय स्काउट/रोवर्स/रेंजर्स प्रशिक्षण एवं जाँच शिविर का समापन आज दिनांक 17.03.2026 को सायं 05:30 बजे सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल (IPS) उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शिविर के दौरान प्रशिक्षित छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए अनुशासन, सेवा भावना, टीम वर्क एवं राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा कि स्काउट/गाइड जैसी गतिविधियाँ युवाओं में नेतृत्व क्षमता, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करती हैं, जो एक सशक्त समाज के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाँच दिवसीय इस शिविर में प्रतिभागियों को प्राथमिक उपचार, आपदा प्रबंधन, शारीरिक प्रशिक्षण, सामाजिक सेवा, अनुशासन एवं विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया गया। शिविर के अंतर्गत आयोजित जाँच (टेस्टिंग) में प्रतिभागियों के कौशल का मूल्यांकन भी किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अमन चन्द्र एवं रोवर्स/रेंजर्स प्रभारी डॉ. मनोज कुमार मिश्रा द्वारा मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त करते हुए शिविर की गतिविधियों एवं उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

समापन समारोह में प्रशिक्षु आईपीएस श्री प्रदीप कुमार, प्राचार्य श्री रविन्द्र कुमार, उपाध्यक्ष प्रबन्धन समिति श्रीमती वर्षा सिंह, सचिव प्रबन्ध समिति श्री उमेश कुमार शाह, IQAC समन्वयक श्री जितेन्द्र सिंह, रोवर्स/रेंजर्स प्रभारी डा0 मनोज कुमार मिश्रा व महाविद्यालय के शिक्षकगण, कर्मचारीगण एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 17.03.2026

मोटरसाईकिल चोरी की घटनाओं में वांछित रु0 25,000/- का ईनामिया 01 वाहन चोर गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-661/24, धारा 317(2),317(4),317(5) से सम्बन्धित 01 शातिर वाहन चोर- मलखान सिंह उर्फ मोनू उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र माता प्रसाद सिंह निवासी आनन्द नगर पेरी मौजा पूरे शिवा बख्तावर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा, स्थायी पता – भदौरिया पुरवा जगदीशपुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा को उसके घर ग्राम आनन्द नगर से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.09.2024 को थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की 15 मोटरसाईकिलों के साथ 03 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मलखान सिंह पुत्र माता प्रसाद सिंह फरार हो गया था जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया था। आज दिनांक 17.03.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वांछित 25,000 रु0 के इनामिया अभियुक्त को उसके घर पर दबिश देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मलखान सिंह उर्फ मोनू उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र माता प्रसाद सिंह निवासी आनन्द नगर पेरी मौजा पूरे शिवा बख्तावर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा, स्थायी पता – भदौरिया पुरवा जगदीशपुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अमरनाथ मय हमराह
02. उ0नि0 अविनाश सिंह
03. कां0 रामनाथ प्रजापति
04. म0आ0 पूनम सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 17.03.2026, मॉनीटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व रू0 25,000/- अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा दिनांक 04.05.2022 को थाना कटराबाजार पर सूचना दी कि उसकी नाबालिग बहन(पीड़िता) उम्र 17 वर्ष के साथ विपक्षी इरफान अली द्वारा दुराचार किया गया है। तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान दोषी पाये गये आरोपी इरफान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। प्रकरण में अभियोग के तत्कालीन विवेचक द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 17.06.2022 को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 17.03.2026 को थाना कटरा बाजार पर पंजीकृत नाबालिग से दुराचार संबंधी अभियोग में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) गोण्डा श्री निर्भय प्रकाश द्वारा शासकीय अभियोजक श्री अशोक सिंह व श्री सुनील मिश्रा, प्रभारी मॉनीटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला व थाना कटराबाजार के पैरोकार हे0कां0 सुनील शुक्ला व कोर्ट मोहर्रिर म0कां0 वन्दना के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व रु0 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. इरफान अली पुत्र अहमद अली निवासी ग्राम धोबहाराय थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-137/2022, धारा 376(डी) भादवि 5(g)(l)/6 पॉक्सो एक्ट थाना कटरा बाजार, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।